संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त

संस्थान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 2018 की **चतुर्थ त्रैमासिक बैठक दिनांक 10 दिसम्बर, 2018** को डा. राजकुमार सिंह, निदेशक एवं अध्यक्ष, सं.रा.का.स. की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:–

1.	डा. राजकुमार सिंह, निदेशक एवं कुलपति	अध्यक्ष
2.	डा. विश्वबन्धु चतुर्वेदी, प्रधान वैज्ञानिक	उपाध्यक्ष
3.	श्री राधेशाम, वित्त नियंत्रक	सदस्य
4.	संयुक्त निदेशक (शैक्षणिक) के प्रतिनिधि	सदस्य
5.	विभागाध्यक्ष, पैथोलॉजी विभाग	सदस्य
6.	विभागाध्यक्ष, पशु पोषण विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
7.	विभागाध्यक्ष, परजीवी विज्ञान विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
8.	विभागाध्यक्ष, जैविक मानकीकरण के प्रतिनिधि	सदस्य
9.	विभागाध्यक्ष, जैविक उत्पाद विभाग	सदस्य
10.	विभागाध्यक्ष, एल.पी.टी. विभाग	सदस्य
11.	विभागाध्यक्ष, औषधि विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
12.	विभागाध्यक्ष, जीव रसायन विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
13.	विभागाध्यक्ष, प्रसार शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
14	विभागाध्यक्ष, भैषज्य एवं विष विज्ञान विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
15.	प्रभारी, अभियांत्रिकी अनुभाग (यूनिट–प्रथम)	सदस्य
16.	विभागाध्यक्ष, पशुचिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी के प्रतिनिधि	सदस्य
17.	प्रभारी, मानव चिकित्सालय	सदस्य
18.	प्रभारी , जानपदिक रोग विज्ञान विभाग	सदस्य
19.	प्रभारी अधिकारी, संचार केन्द्र	सदस्य
20.	श्री पंकज कुमार, वरि.प्रशा.अधि.	सदस्य
21.	प्रभारी अधिकारी, रा.प.चि.वि. पुस्तकालय	सदस्य
22.	श्री बाबूलाल मीना, स.मु.त.अ. राजभाषा अनुभाग	सदस्य
23.	श्री बद्री प्रसाद, प्रवर श्रेणी लिपिक, राजभाषा अनुभाग	सहयोगी
24.	कु. एकता सिंह, टी–1, राजभाषा अनुभाग	सहयोगी
25.	श्रीमती सुजाता जेठी, प्रभारी, राजभाषा अनुभाग	सदस्य सचिव

बैठक में सर्वप्रथम डा. विश्वबन्धु चतुर्वेदी, उपाध्यक्ष, सं.रा.का.स. ने अध्यक्ष महोदय सहित सभी समिति सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया और अध्यक्ष महोदय की अनुमति से समिति की पिछली बैठक के निर्णयानुसार की गई अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत की। अध्यक्ष सहित सभी समिति सदस्यों ने कार्रवाई की पुष्टि की। बैठक में निम्न मुद्दों पर विचार–विमर्श के बाद निर्णय लिए गये।

1. <u>धारा 3(3) का अनुपालन</u>

बैठक में निदेशक महोदय ने कहा कि वर्तमान में इस धारा के अन्तर्गत 85 प्रतिशत कागजात हिन्दी या द्विभाषी रूप में जारी किये जा रहे हैं लेकिन इस धारा के अन्तर्गत जारी सभी कागजात शत–प्रतिशत हिन्दी या द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है। बैठक में जिन विभागों/अनुभागों की स्थिति संतोषजनक नहीं थी उनका उल्लेख किया गया। अध्यक्ष महोदय ने सभी समिति सदस्यों से आग्रह किया कि इस धारा का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

कार्रवाई : सभी विभाग/अनुभाग

2. <u>फाइलों पर हिन्दी में टिप्पणियां लिखने पर परिचर्चा</u>

निदेशक महोदय ने बताया कि 83 प्रतिशत टिप्पणियां हिन्दी में लिखी जा रही हैं जो कि लक्ष्य 75 प्रतिशत से अधिक है। फिर भी इस दिशा में निरन्तर प्रयास करते हुए हमें हिन्दी टिप्पणियों के प्रतिशत को और बढाना होगा।

कार्रवाई: सभी विभाग/अनुभाग

त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट से संबंधित कार्यशाला का आयोजन

बैठक में निर्णय लिया गया कि संस्थान के विभागों/अनुभागों में हिन्दी की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट भरने वाले सभी कार्यालय सहायकों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की जायेगी जिसमें हिन्दी की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट में सही एवं स्पष्ट आँकड़े भरने का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

कार्रवाई : राजभाषा अनुभाग

4. संस्थान एवं क्षेत्रीय परिसरों/केन्द्रों को राजभाषा नियम 10(4)के अंतर्गत अधिसूचित कराने के सम्बन्ध में विचार–विमर्श

बैठक में निर्णय लिया गया कि संस्थान मुख्यालय एवं इसके क्षेत्रीय परिसरों /केन्द्रों को राजभाषा नियम 10 (4) के अंतर्गत पुनः अधिसूचित कराने की कार्रवाई राजभाषा अनुभाग करेगा। जिन विभागों/अनुभागों से अधिकारियों/कर्मचारियों के हिन्दी ज्ञान से सम्बन्धित घोषणा–पत्र प्राप्त नहीं हुए है उन्हें **श्री पंकज कुमार, वरि.प्रशा.अधि.** की ओर से पत्र भेजकर संबंधित सूचना प्राप्त की जायेगी।

कार्रवाई : राजभाषा अनुभाग

5. सूचना प्रबन्धन प्रणाली के द्विभाषी रूप में कार्य करने हेतु सचिव, भा.कृ.अ.प. को पत्र प्रेषित करने के संबंध में

बैठक में निर्णय किया गया कि सूचना प्रबन्धन प्रणाली जिसके तहत एक एफ.एम.एस, पी.एफ.एम.एस, मांगपर्ची, क्रय आदेश, अवकाश आदि के कार्य द्विभाषी रूप में करने के लिए निदेशक महोदय की ओर से सचिव, भाकृअप को पत्र लिखकर आग्रह किया जाए कि सूचना प्रबन्धन प्रणाली के तन्त्र/सिस्टम को इस तरह विकसित/संशोधित किया जाना चाहिए कि अधिकारी/कर्मचारी इसमें अपनी सुविधानुसार हिन्दी या अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कार्य कर सकें।

कार्रवाई : राजभाषा अनुभाग

अन्य विचारणीय मद

1. निदेशक महोदय ने कहा कि जहां पर कम्प्यूटरों में हिन्दी के फॉन्ट नहीं है उन विभागों/अनुभागों द्वारा एरिस सेल (कम्प्यूटर सेंटर) को पत्र लिखकर हिन्दी के फॉन्ट कम्प्यूटर में इंस्टाल करा लिया जाए।
2. बैठक में निर्णय लिया गया कि हिन्दी कार्यशालाओं, संगोष्ठियों एव राजभाषा सम्बन्धी गतिविधियों में प्रतिष्ठित एवं अनुभवी वक्ताओं को आमंत्रित किया जाए।
3. बैठक में निर्णय लिया गया कि मेडिकल क्लेम से सम्बन्धित हिन्दी के फार्मों को ही प्रयोग में लाया जाए। ये फार्म संस्थान की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

अध्यक्ष महोदय ने सभी समिति सदस्यों से आग्रह किया कि हिन्दी की प्रगति में सभी लोग सकारात्मक एवं रचनात्मक सहयोग प्रदान करें और अपने विभाग/अनुभाग की उपलब्धियों को द्विभाषी रूप में तैयार करें।

अन्त में अध्यक्ष महोदय के धन्यवादज्ञापन के साथ ही बैठक की कार्रवाई समाप्त हो गई।

प्रभारी,राजभाषा अनुभाग 20.12.18

विश्व बन्धु चतुर्वेदी
(डा. विश्व बन्धु चतुर्वेदी) 20/12/18
उपाध्यक्ष, सं.रा.भा.का.स.

(राकेश कुमार)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

21/12/18
(डा. राजकुमार सिंह)
निदेशक एवं अध्यक्ष, आयोजन समिति